

अतिमहत्वपूर्ण
ई-मेल



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।
पत्रांक १२२४ / १२-१ दिनांक, मसूरी ०९ -१०-२०१५ ।

सेवा में,

आधिकारी अभियन्ता,
(पी०एम०जी०एस०वाई०),
सिंचाई खण्ड, देहरादून ।

विषय :-

जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक से पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सहस्रधारा (कार्लीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई - ११.४२५ किमी०) के निर्माण हेतु ९.१९४ है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम १९८० के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव ।

सन्दर्भ :-

इस कार्यालय के पत्र सं० ८१३ / १२-१, दि० ०७-०९-२०१५ ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा प्रेषित पत्र सं० १२६० / पी०एम०जी०एस०वाई० / सिंचाई ख०-दै०दून / वन भूमि, दिनांक ०५-१०-२०१५ तथा उसमें अंकित दस्तावेज आनलाईन प्राप्त हो चुके हैं। परन्तु प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु मूल दस्तावेजों की भी नितान्त आवश्यकता है।

अतः अपने कार्यालय पत्र सं० १२६० / पी०एम०जी०एस०वाई० / सिंचाई ख०-दै०दून / वन भूमि, दिनांक ०५-१०-२०१५ तथा उसके साथ प्रेषित सूचनायें / प्रमाण-पत्रों की मूल हार्ड प्रति अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

११.१०.१५

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी (डा० धीरज पाण्डेय)
मसूरी वन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।